INDIA NON JUDICIAL

IN-UP14694743465131W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature: Goyal
Acc Name : SHIV KUMAR GOYAL
ACC Code : UP14003404
Sub-Registrar, Noida
Mob.: 9871428774
Lic. No. : 102/2006, Noida U.P.

Certificate No.	:	IN-UP14694743465131W
Certificate Issued Date	:	03-Apr-2024 03:16 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14003404/ NOIDA/ UP-GBN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14003404219563385077 34W
Purchased by	:	D S R EDUCATIONAL DEVELOPMENT TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	D S R EDUCATIONAL DEVELOPMENT TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	D S R EDUCATIONAL DEVELOPMENT TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

LOCKED S.R.O.-2 NOIDA

Please write or type below this line

QE 0000979449

VOID VOID VOID

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

न्यास विलेख (Trust Deed)

ट्रस्ट फन्ड–5,000./–रूपये

अदा स्टाम्प शुल्क–1000/–रूपये

यह विलेख 03/04/2024 ------------------------- 2024 को श्री परमेश्वर सिंह राणा, (आधार सं० 657695487408) पुत्र श्री स्व बालेश्वर सिंह राणा, निवासी- बी - 110 प्लॉट न. ई -11 प्रतीक फेडोरा सेक्टर 61 नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र० के व्यवस्थापक/संस्थापक (जो कि अभिव्यक्त करता है जब तक कि विरुद्ध या असंगत विशय या संदर्भ मायने उनके वारिसान, निशपादन एवं प्रशासक) का प्रथम पक्ष

और

1- श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री लखमी चंद निवासी बी-146 सेक्टर-52 नोएडा, जिला गौतम बुद्धनगर उ०प्र० ।

2- श्री उपदेश तोमर पुत्र श्री लोकेश तोमर निवासी डी-214 दूसरा फ्लोर गौर स्पोर्ट्स वुड सेक्टर-79 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर,उ०प्र० ।

3- श्री ठाकुर प्रथम राणा पुत्र श्री परमेश्वर सिंह राणा निवासी बी - 110 प्लॉट न. ई -11 प्रतीक फेडोरा सेक्टर 61 नोएडा, जिला गौतम बुद्धनगर उ०प्र०।

इसके पश्चात् ट्रस्टी/न्यासी (जो कि अभिव्यक्त करता है। जब तक कि विरूद्ध या असंगत विशय या संदर्भ मायने उनके वारिसान और न्यासियों के रहते हुये मौजूद और वारिसान, निशपादन एवं प्रशासक के आखिरी जीवित न्यासी) के द्वितीय पक्ष यह कि संस्थापक/व्यवस्थापक श्री परमेश्वर सिंह राणा, पुत्र श्री स्व बालेश्वर सिंह राणा, निवासी- बी - 110 प्लॉट न. ई -11 प्रतीक फेडोरा सेक्टर 61 नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र० स्थिर चित्त, धार्मिक, सामाजिक सुधार, हित-उत्थान, शिक्षा के प्रचार-प्रसार के उत्सुक व्यक्ति हैं। इसके लिए न्यास की स्थापना के लिए इच्छा रखते हुए 5,000/- रू० (पाँच हजार रू० मात्र) व्यास विलेख की पूर्ति व निर्मित हेतू दिये। अब यह विलेख साक्षी है कि इस इच्छा पूर्ति के कार्यान्वयन के लिए और प्रतिफल में परिसर सहमत है और निम्न घोशणा करते हैं

क- न्यास का नाम – “ डी एस आर एजुकेशनल डेवलोपमेन्ट ट्रस्ट ” (इसके बाद न्यास का नाम व्यास उल्लिखित भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1882 के अन्तर्गत होगा।)

ख- न्यास का पंजीकरण कार्यालय डी -35 अ अरावली अपार्टमेंट सेक्टर-52 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र० स्थित होगा या इस प्रकार के अन्य स्थान पर जैसा कि न्यासी समय-समय पर सहमत होंगे।

ग- न्यास का कार्यक्षेत्र समस्त भारत वर्श होगा।

1 . न्यास की निधि एवं सम्पत्तियाँ -

'न्यास' की निधि एंव सम्पत्तियाँ मिलकर बनेगी जैसै-

अ- व्यवस्थापक/संस्थापक द्वारा निश्चित की गई राशि 5,000/-रू० (पाँच हजार रू मात्र)

ब- दान, चन्दा, बसीयती सम्पदा, नगदी या वस्तु के रूप में, जो कि न्यास के सदस्यों जनता का कोई व्यक्ति व्यवसायिक संस्थान, सहयोजन, न्याय कस निगमित संस्था, सरकार द्वारा सभी या किसी भी उद्देश्य या विशय के लिए प्राप्त हुआ हो।

स- चल-अचल सम्पत्ति जो न्यास द्वारा क्रय, अधिग्रहित, बदले में पट्टे या किसी भी जरिये से।

द- आय व लाभ न्यास की सम्पत्ति से।

ड़- कोई शुल्क प्रकार आदि जो कि जनता से लिया गया हो या कलाकार के द्वारा प्रदर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मेले द्वारा इकट्ठा किया गया धन-सम्पदा आदि।

घ- न्यास की कोई अपनी समपत्ति नहीं है।

न्यास के लक्ष्य और उद्देश्य

न्यास का उद्देश्य शिक्षार्य, पुण्यार्य, जन समाज सहायतार्थ व उत्थानार्य है, जैसा कि न्यासी सोचते हैं; जो निम्नवत है

1. न्यास द्वारा समाज के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण व अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना व कराना।

2. समाज के सभी वर्ग, धर्म के बच्चों व व्यक्तिययों के लिए पुस्तकालयों, धार्मिक पत्रिकाओं, प्रतियोगिता पत्रिकाओं, सामाजिक उत्थान के लिए पत्रिकाओं व समाचार पत्र को छापना, प्रकाशित करना व करवाना।

3. जरूरतमंदो व योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृति, शिक्षण सामग्री ड्रेस व छात्रावास आदि प्रदान करना व करवाना।

4. मेधावी बच्चों को उनके किसी भी योंग्यता के लिए प्रोत्साहित करना व बुद्धिजीवी व समाजहित में कार्यरत व्यक्तियों को पुरस्कृत व सम्मानित करना।

5. बच्चों को उनके किसी भी क्षेत्र में भविश्य बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा खेल मैदान, खेल नृत्य, गायन, वादन, कम्प्यूटर आदि की उचित व्यवस्था करना।

आवेदन सं०: 202400743023671

न्यास पत्र

बही स०: 4 **रजिस्ट्रेशन स०: 77** **वर्ष: 2024**

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 1060

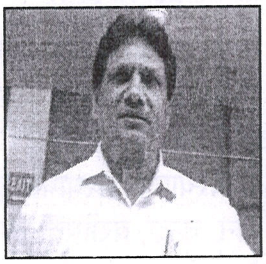

श्री परमेश्वर सिंह राणा ,
पुत्र श्री स्व० बालेश्वर सिंह राणा
व्यवसाय : अन्य
निवासी: बी-110, प्लाट नं० ई-11, प्रतीक फेडोरा, सेक्टर-61,नौएडा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 03/04/2024 एवं 04:03:20 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के० एन० सिंह
उप निबंधक :नोएडा द्वितीय
गौतम बुद्ध नगर
03/04/2024

ओमकार वर्मा .
निबंधक लिपिक
03/04/2024

प्रिंट करें

6. सभी प्रकार की सुविधा उपरोक्त क्रम संख्या के अनुसार व अन्य शेश कार्य जो उनके भविश्य के लिये एंव राश्ट्र निर्माण में हितकारी हो निःशुल्क व उचित शुल्क पर प्रदान करना।

7. गरीब असहाय व सभी को आश्रय स्थल, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य कैंप, रक्तदान कैंप, एम्बुलेंस, शववाहन, अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, आदि निःशुल्क व न्यूनतम शुल्क में तथा विधवा, निराश्रितों, वृद्धा पेंशन आदि प्रदान करना।

8. किसी भी आपदा, युद्ध विभिशिकाओ के दौरान राहत कैम्प, भोजन, कपड़ों, डॉक्टर, दवाईयों की व्यवस्था करना।

9. समाज के उत्थान व प्रगति के लिए समय-समय पर प्रदर्शनी, मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सत्संग व बुद्धिजीवियों व विद्वानों द्वारा प्रवचन व भजनों, कवि सम्मेलन, शहीदों, क्रांतिकारियों तथा देश के सैनिकों हेतु राश्ट्रीय पर्वो का आयोजन, गाँवों की सड़कों की मरम्मत, गेटों का निर्माण व नामकरण आदि करना।

10. शिक्षा के प्रसार व न्यास के उद्देश्य पूर्ति के लिए किसी भी व्यास की किसी भी शाखा को व अन्य किसी भी संस्थान को न्यास द्वारा अन्य किसी सोसाइटी व ट्रस्ट को तथा उसकी चल-अचल सम्पत्ति को अपने में पूर्ण व आंशिक रूप से अनुबंध के अनुसार समाहित करना, गोद लेना व सहायता देना।

11. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उधार, उपहार, दान, सरकारी अनुदान, कपंनियों और व्यक्तियों तथा बैंक ग्रुपों व आर्थिक संस्थान से उधार व ऋण लेना इत्यादि जिम्मेदारी न्यास के सदस्यों की होगी।

12. न्यास को अपनी किसी भी उद्देश्य से कोई भी आय (बचत) होती है तो वह राशि न्यास के उद्देशयों की पूर्ति के लिए व न्यास की आय के लिए ही खर्च किया जायेगा।

13. किसी वर्ष में या पिछले वर्षों की बचत राशि को ग्रामीण पिछड़ें क्षेत्रों व कस्बों में न्यास के उद्देश्यों के लिए ही खर्च किया जायेगा।

14. न्यास की आय (बचत) व आय-व्यय का लेखा-जोखा इन्कम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार, न्यास पर जो नियम लागू होते हों व निवेश न्यास की विधि जैसा निर्देशित हों निवेशित किया जायेगा।

15. अभिदान, अंशदान या दान किसी जन खैराती न्यास या सोसाइटी को कोश या संस्था को देना जो कि उपरोक्त उद्देश्यों को अंग्रसर करती हो।

16. स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जागरूकता व व्यवस्था तथा स्वच्छता हेतु कार्य करना व करवाना।

17. सम्पूर्ण समाज निम्न आर्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग व जीवों के उत्थान हेतु किसी भी प्रकार का आवश्यक कार्य करना।

18. गरीब व असहाय कन्याओं के शिक्षण व विवाह हेतु सहायता प्रदान करना।

आवेदन सं०: 202400743023671

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 77 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री परमेश्वर सिंह राणा, पुत्र श्री स्व० बालेश्वर सिंह राणा

निवासी: बी-110, प्लाट नं० ई-11, प्रतीक फेडोरा, सेक्टर-61,नौएडा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री जय कृष्णा नौटीयाल, पुत्र श्री श्रीराम प्रसाद नौटीयाल

निवासी: चौडा सादतपुर, सेक्टर-22,नौएडा

व्यवसाय: अन्य

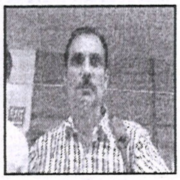

पहचानकर्ता : 2

श्रीमती ज्योति राणा, पत्नी श्री परमेश्वर सिंह राणा

निवासी: बी-110, प्लाट नं० ई-11, प्रतीक फेडोरा, सेक्टर-61,नौएडा

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

के० एन० सिंह
उप निबंधक : नोएडा द्वितीय
गौतम बुद्ध नगर
03/04/2024

ओमकार वर्मा .
निबंधक लिपिक गौतम बुद्ध नगर
03/04/2024

प्रिंट करें

<u>न्यास का बोर्ड एवं उनके अधिकार</u>

1. न्यास की व्यवस्था एवं नियंत्रण और न्यास की सम्पत्तियों के अधिकार न्यास के बोर्ड में निहित होंगे।

2. न्यास का बोर्ड न्यास के सभी सदस्यों व पदाधिकारियों से मिलकर बनेगा जिसमें (न्यासी) सदस्यों की संख्या कम से कम (3) तीन और अधिकतम (11) ग्यारह सदस्य (न्यासी) होंगे।

चेयरमैन को छोड़कर निम्न प्रथम न्यासी होंगी।

क्र.स.	नाम एवं पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	पैन नंबर
1	श्री परमेश्वर सिंह राणा पुत्र श्री स्व बालेश्वर सिंह राणा	बी - 110 प्लॉट न. ई -11 प्रतीक फेडोरा सेक्टर 61 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर	चेयरमैन	समाज सेवक	AFVPR9242 R
2	श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री लखमी चंद	बी-146 सेक्टर-52 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर	सचिव	समाज सेवक	APJPS6835 B
3	श्री उपदेश तोमर पुत्र श्री लोकेश तोमर	डी-214 दूसरा फ्लोर गौर स्पोर्ट्स वुड सेक्टर-79 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर	सदस्य	समाज सेवक	AXKPT9819 M
4	श्री ठाकुर प्रथम राणा पुत्र श्री परमेश्वर सिंह राणा	बी - 110 प्लॉट न इ-11 प्रतीक फेडोरा सेक्टर 61 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर	कोषाध्यक्ष	समाज सेवक	EXKPR3398 H

3. अ) न्यासी की संख्या किसी भी कारण से (3) तीन से कम होने पर सेष नए न्यासी चुन सकते हैं व पद पर भी नियुक्त कर सकते हैं।

ब) न्यास का स्थाई सदस्य चेयरमैन होगा जिसकी अनुपस्थिति में सचिव उसका कार्यभार संभालेगा या न्यासीगण किसी भी न्यासी को कार्य सम्पन्न व हर बैठक के लिए चेयरमैन चुन सकते हैं।

उत्तर प्रदेश

स) न्यासी द्वारा बोर्ड की बैठक वर्श में छः-छः माह में दो बार होनी निश्चित है तथा किसी न्यासी के लिखित प्रार्थना-पत्र तथा आवश्यकता पर बैठक चेयरमैन द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है। बैठक की सूचना 8 दिन पूर्व डाक द्वारा, फोन संदेश द्वारा न्यासी के पते व फोन पर भेजी जायेगी।

द) किसी भी बैठक के लिए (2/3) दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक है तभी प्रस्ताव पास किया जा सकेगा। चेयरमैन के अपने मत देने के उपस्थित सदस्यों के बराबर मत होने पर निर्णायक मत चेयरमैन का होगा। उपरान्त ही प्रस्ताव पास किया जायेगा।

4. इस विलेख द्वारा न्यास के पास स्वतः की पूर्ति के उपरान्त पैसे बचते हैं तो न्यासियों को वास्तविक यात्रा भत्ता, न्यास की बैठक या सब कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए व बैठक पर खर्च किया जा सकेगा। किन्तु न्यासियों को यह अधिकार नहीं होगा कि वह अपने निजी कार्यों पर न्यास की आमदनी खर्च कर सके।

5. न्यासी बोर्ड समयानुसार न्यास के नियम-उपनियम न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व अन्य संस्थान जिन का प्रबन्ध न्यास द्वारा किया जाता है, अन्य व्यवस्थापन समितियों, कमेटी, उपसमिति गठित कर सकते हैं। न्यास के उद्देश्यों व उद्देश्य की पूर्ति के उपरान्त उन्हें भंग कर सकते हैं, न्यासियों व बाहरी व्यक्तियों को दे सकते हैं।

6. न्यास की किसी सम्पत्ति को खरीद, उसे बनाने, किराये पर देने लेने, बंधक रखने, भारित करने, आटर्नी या क्षतिपूर्ति किसी शर्त समय अवधि के लिए दी जा सकती है। जैसा न्यासी उचित समझे।

7. न्यास की उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी समझौते, शासन, परित्याग, मध्यस्थता वाद सुलझाने, किसी संस्था का रख-रखाव, बन्दोबस्ती, लिखित संरचना, प्रबंधन, नियुक्ति कराना व अन्य कार्य करने पर नुकसान का दायित्व जिम्मेदारी से करने पर न्यासी की कोई जवाब देही नहीं होगी।

8. न्यास के उद्देश्यों के लिए यदि किसी भी प्रकार का ऋण चाहे सरकारी निजी संस्थाओं या व्यक्ति से लिया गया हो तो उसके लिए सभी न्यासीगण जवाबदेही होंगे। उन्हीं से ऋण वसूला जायेगा।

9. न्यासी की प्रगति व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम न्यासियों में से ही वेतन पर नियुक्त किए जायेगे।

10. आयकर की धारा व शर्तों के अनुसार 80 जी 11 आयकर अधिनियम, 1961 में मूल संशोधन पुनः निर्गमित समयानुसार लागू हो या न हो। यद्यपि ऐसा संशोधन न्यासियों की बैठक के उपरान्त प्रस्ताव द्वारा किया जायेगा तथा न्यासी लाभ हेतु इसे माने या ना मानें ।

11. न्यासी आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धाराओं 11, 12 और 13 के अन्तर्गत कर से पूर्ण रूप से मुक्त हों इस प्रकार की अन्य धाराओं या उपनियमों जो कि समय-समय पर संशोधित हो।

न्यासियों का निवर्तन

1. कोई भी न्यासी एक माह की लिखित नोटिस देकर निवृत्त हो सकता है।

2. न्यासी स्वयं सदस्यता निवृत्त हो जायेगा यदि
अ) मृत्यु या त्यागपत्र या रूचि न होने पर।
ब) मानसिक रूप से विक्षिप्त होने पर।
स) दिवालिया हो जाने पर या इसके लिए आवदेन करने पर।
द) यदि किसी अपराध के कारण छः माह से अधिक का सजायाफता होने पर।
ड़) यदि निरन्तर 2 बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित होने पर ।

3. यदि कोई न्यासी, न्यास के उद्देश्यों को ठेस पहुँचाता हो व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यास की छवि धूमिल कर रहा हो तो बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है।

रिक्तियों की पूर्ति

न्यासी की रिक्त पदों की पूर्ति अन्य न्यासियों के बहुमत द्वारा अन्य सदस्य की नियुक्ति की जा सकेगी तथा न्यास के चेयरमैन द्वारा उन सदस्यों का नामांकन किया जायेगा।

लेखा व हिसाब के रख-रखाव की किताबें

1. न्यास का आय-व्यय लिखित में रखना होगा।
2. लेखा-हिसाब की किताबों को न्यास के कार्यालय पर रखा जायेगा और अन्य संस्थाओं पर जहाँ बोर्ड फैसला करेगा समय-समय पर सभी किताबें न्यासियों के निरीक्षण के लिए हमेशा खुले रहेंगे।
3. न्यास के आय-व्यय का हिसाब न्याय के कोषाध्यक्ष द्वारा तैयार किया जायेगा। जिसे प्रत्येक वित्त वर्श में व्यास द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा पुस्तको को ऑडिट किया जायेगा। जिसे न्यास की बैठक में पेश किया जायेगा।

विशेश उपबन्ध

न्यास भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदेश व आदेश का पालन करेगी एवं सी.बी.एस.ई. संबद्धता में भी।

1. बोर्ड के साथ व्यास की मान्यता व नियमों में संशोधन का समय-समय पर नवीनीकरण किया जायेगा।

2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा

3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है। तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ कौंसिल फोर द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इग्जामिनेशन,नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जाऐंगें ।

6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जाएंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जाएंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जाएगा।

9. उत्तर प्रदेश शिक्षा सहिंता की धारा -105 से 107 के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जाएगी।

10. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्धन नहीं किया जाएगा।

बैंक खातों का संचालन

चेयरमैन- कोषाध्यक्ष या सचिव -कोषाध्यक्ष को संयुक्त रूप से या एकल खाता खोलने की शक्ति होगी । न्यास के वास्ते चैकों पर हस्ताक्षर, खातों का संचालन करने, धन को पाने, प्रष्ठांकन करने का लिखित लेना या निर्गमन करना उन्हीं बिल या किसी व्यक्ति - व्यक्तियों को ऐसी सभी शक्तियों के इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकृत करना ।

न्यास विलेख रजिस्टर होने पर न्यास किसी भी चल- अचल सम्पत्ति का स्वामी नहीं है।

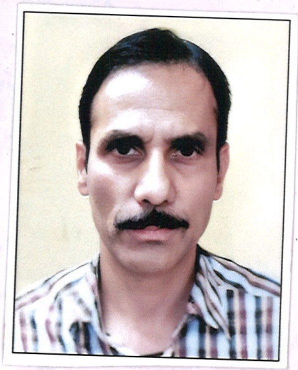

गवाह-

1.

श्री जय कृष्णा नौटीयाल
पुत्र स्व श्रीराम प्रसाद नौटीयाल
निवासी चौड़ा सादतपुर सेक्टर-22 नोएडा,
जिला गौतम बुद्ध नगर।
आधार कार्ड नं-245300335497, Mo-9212707985

ट्रस्टी/न्यासी

2.

Jyoti Rana

श्रीमती ज्योति राणा
पत्नी श्री परमेश्वर सिंह राणा
निवासी बी - 110 प्लॉट न. ई -11 प्रतीक फेडोरा
सेक्टर 61 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, जिला गौतमबुद्धनगर।
आधार कार्ड नं-780083595574 Mo-8700402810

S.K. Chauhan
Deed Writer, NOIDA

आवेदन सं०: 202400743023671

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 3353 के पृष्ठ 125 से 144 तक क्रमांक 77 पर दिनाँक 03/04/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के० एन० सिंह
उप निबंधक : नोएडा द्वितीय
गौतम बुद्ध नगर
03/04/2024

प्रिंट करें